गुड्डी बाई **बनाम** ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 01 सन् 2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00071

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/88 के मुरब्बा नम्बर 26 की 6.199 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 64/20 की 0.126 हैक्टेयर कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 1.034 हैक्टेयर भूमि के दर्ज दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 588 दिनांक 05.11.2016 खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील, अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा अपीलान्ट के द्वारा पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 10.10.2016 के दर्ज दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 588 दिनांक 05.11.2016 को खारिज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। जो सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला के द्वारा दिनांक 05.11.2016 को स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया, अनुतोष पंजीकृत दस्तबरदारी को निरस्त कर दिया जा सकता है। जबकि पंजीकृत दस्तबरदारी के संबध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज की जाती हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)	